भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1505
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

सूर्योदय योजना

1505. श्री सी. एम. रमेशः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूर्योदय योजना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है;

(ख) सरकार के पास राज्यों के बीच 10 मिलियन परिवारों को किस प्रकार विभाजित करने का प्रस्ताव है तथा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक अनुमान के अनुसार भारत में छतों पर 637 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता है तथा इसका एक तिहाई भाग आवासीय क्षेत्र से देश की बिजली की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त 637 गीगावाट में से कितनी मात्रा देश में छतों पर सौर ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है, और

(ङ) सरकार छतों पर सौर पैनल लगाने वालों को कौन सा प्रोत्साहन/लाभ प्रदान करने की योजना बना रही है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत दिनांक 13 फरवरी, 2024 को की गई थी, जिसका उद्देश्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करना था। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 75,021 करोड़ रु. है।

(ख) योजना के तहत शामिल किए जाने वाले 1 करोड़ परिवारों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है। देश का कोई भी आवासीय बिजली उपभोक्ता, रूफटॉप सौर (आरटीएस) प्रणाली की स्थापना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल अर्थात् pmsuryaghar.gov.in पर योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। योजना के तहत सीएफए का लाभ प्राप्त करने संबंधी पात्रता के लिए आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली को निम्नलिखित प्रमुख शर्तें पूरी करनी होंगीः-

i. आवासीय रूफटॉप सौर (आरटीएस) संयंत्र ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत प्रणाली होनी चाहिए जो स्थानीय डिस्कॉम द्वारा प्रदान किए गए एक विशिष्ट आवासीय विद्युत कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए और इसमें केवल छत, टेरेस, बालकनी या ऊंची संरचनाओं पर स्थापना शामिल है। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी (बीआईपीवी) सिस्टम जैसे विशेष आरटीएस इंस्टॉलेशन भी सीएफए सहायता के लिए पात्र हैं।

ii. ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसे मीटरिंग तंत्र का उपयोग करने वाले इंस्टॉलेशन सीएफए के लिए पात्र हैं यदि वे छत, टेरेस, बालकनी, ऊंची संरचनाओं पर स्थित हैं अथवा बीआईपीवी के रूप में हैं और यदि मीटरिंग व्यवस्था डिस्कॉम द्वारा अनुमोदित है।

iii. योजना के तहत पात्र समूह आवासीय सोसायटी (जीएचएस)/आवासीय कल्याण समिति (आरडब्ल्यूए) कनेक्शन, पूरी तरह से साझा सुविधाओं के लिए समर्पित होना चाहिए और इसका उपयोग जीएचएस/आरडब्ल्यूए के भीतर आवासीय उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ): नवम्बर, 2023 में प्रकाशित काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की एक स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में 25 करोड़ से अधिक घरों में छतों पर 637 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने की संभाव्यता है। इसके अलावा, सीईईडब्ल्यू की रिपोर्ट में पाया गया कि इस कुल सौर तकनीकी संभाव्यता का केवल एक तिहाई हिस्सा लगाने से भारत के आवासीय क्षेत्र (~310 टीडब्ल्यूएच) की समस्त बिजली की मांग को पूरा किया जा सकता है। तथापि, घरों की वर्तमान बिजली खपत को ध्यान में रखते हुए तकनीकी संभाव्यता घटकर पांचवें हिस्से (118 गीगावाट) तक रह जाती है।

(ङ) पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ता, घरों में रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना के लिए 78,000 रु. तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के लिए पात्र हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों में आवासीय प्रतिष्ठानों को इस राशि के ऊपर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है।

3 किलोवाट तक की आरटीएस प्रणाली की स्थापना के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान और संपार्श्विक (कोलेट्रल) मुक्त ऋण भी उपलब्ध हैं, जिसे वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से निर्बाध रूप से एक्सेस किया जा सकता है।

*****